संख्या-05/2015/704एस0ची0उ0अनु0-1/15-2510/2013

प्रेषक,

सुबोध कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 28 जुलाई, 2015

विषय:-शासनादेश संख्या-1416एस0ची0उ0अनु0-1/2013-14 दिनांक 30 दिसम्बर 2013 द्वारा पेराई सत्र 2013-14 में गन्ना समितियों को भुगतान किये जाने वाले सोसायटी कमीशन की धनराशि की चीनी मिलों को प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु अतिरिक्त धनराशि की माँग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गन्ना आयुक्त के पत्र संख्या-624/सी/क्रय/ दिनांक 01-7-2015 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें पेराई सत्र 2013-14 में देय सोसायटी कमीशन की वास्तविक धनराशि रू0 442.00 करोड़ के सापेक्ष 402.70 करोड़ की प्रतिपूर्ति का भुगतान चीनी मिलों को किया जा चुका है तथा अंकन रू0 39.00 करोड़ का भुगतान किया जाना अवशेष बताया गया है।

2- शासनादेश संख्या-1115एस0ची0उ0अनु0-1/14-2511/2013 दिनांक 26 नवम्बर 2014 द्वारा पेराई सत्र 2014-15 में सोसायटी कमीशन के मद में भुगतान की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने का निर्णय लिया गया है और इसी क्रम में शासनादेश संख्या-2/2015/344/एस0ची0उ0अनु0-1/15-2510/2013 दिनांक 16 अप्रैल, 2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के वार्षिक बजट में सोसायटी कमीशन की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 442.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

3- शासनादेश संख्या-4/2015/620/एस0ची0उ0अनु0-1/15-1607/2004 दिनांक 12 जून, 2015 द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए पेराई सत्र 2014-15 हेतु सोसायटी कमीशन की दर जो पहले एफ0आर0पी0 के 3 प्रतिशत के दर पर निर्धारित की गयी थी, को संशोधित करते हुए रू0 2/- प्रति कुन्टल की दर पर निर्धारित किया गया है।

4- पेराई सत्र 2014-15 में प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा कुल 743.88 लाख टन गन्ने की खरीद की गयी है जिसके अनुसार समिति कमीशन की कुल देयता लगभग 150.00 करोड़ होगी। इस प्रकार पेराई सत्र 2014-15 सोसायटी कमीश्न की प्रतिपूर्ति मद में स्वीकृत धनराशि रू0 442.00 करोड़ के सापेक्ष मात्र धनराशि रू0 150.00 करोड़ की आवश्यकता होगी तथा रू0 292.00 करोड़ अवशेष बचेगी।

5- पेराई सत्र 2013-14 के सोसायटी कमीशन की प्रतिपूर्ति हेतु अवशेष रू0 39.00 करोड़ कीधनराशि की व्यवस्था शासनादेश संख्या-2/2015/344/एस0ची0उ0अनु0-1/15-2510/2013 दिनांक 16 अप्रैल, 2015 द्वारा पेराई सत्र 2014-15 की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 442.00 करोड़ के सापेक्ष हो रही बचत से की जा सकती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेराई सत्र 2014-15 के समिति कमीशन प्रतिपूर्ति मद में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हो रही बचत से गत पेराई सत्र 2013-14 में शासन द्वारा सोसायटी कमीशन की प्रतिपूर्ति किये जाने के निर्णयानुक्रम में पेराई सत्र 2013-14 के अवशेष कमीशन रू0 39.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु अपेक्षित/अवशेष धनराशि को, वित्तीय वर्ष 2013-14 समाप्त हो जाने के कारण चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में सहकारी गन्ना समितियों को सोसायटी कमीशन की प्रतिपूर्ति हेतु अवशेष/उपलब्ध धनराशि में से वहन करने की प्रशासकीय स्वीकृति का श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमोदन प्रदान करते हैं।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6/368-दस/2015 दिनांक 27 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-5/2015/704(1)एस0ची0उ0अनु0-1/15-तद्-दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय चीनी आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
7- चीनी उद्योग अनुभाग-2/3
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।